

राजस्थान विधान सभा

पंचम सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) विशिष्ट सचिव, विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(ख) अध्यादेश

(I) श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-2) सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-3); एवं

2- राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-4);

(III) श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-5) सदन की मेज पर रखेंगे।

(IV) श्री अजय सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-6) सदन की मेज पर रखेंगे।

(V) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-7) सदन की मेज पर रखेंगे।

(VI) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-8) सदन की मेज पर रखेंगे।

(गृह मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(2) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।)

2. विधायी कार्य

(क) वापिस लिया जाने वाला विधेयक

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

कारागार (राजस्थान संशोधन)
विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-24)

"कारागार अधिनियम, 1894 को राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को वापिस भी लेंगे।

(ख) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग
(राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में
सीटों और राज्य के अधीन
सेवाओं में नियुक्तियों और पदों
का आरक्षण विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-37)

"आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(2) राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग
(राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में
सीटों और राज्य के अधीन
सेवाओं में नियुक्तियों और पदों
का आरक्षण विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-38)

"विशेष पिछडे वर्गों की प्रोन्नति और उत्थान के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(3) राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान पुलिस (संशोधन)
विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-32)

"राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को संशोधित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(4) कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-36) "कारागार अधिनियम, 1894 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(5) राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-33) "कतिपय विधियों का निरसन करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(6) राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-39) "राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(7) राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-40) "उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली सिविल और दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने को निवारित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(8) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय,
उदयपुर विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-25)
- "राजस्थान राज्य में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(9) महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय,
जयपुर विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-26)
- "राजस्थान राज्य में महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(10) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा
(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-27)
- "राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री वासुदेव देवनानी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-34)

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(12) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री राजपाल सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-31)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(13) राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(14) राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015

- राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-30)
- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(15) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

- राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-28)
- (I) श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

3. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम - पूर्व राष्ट्रपति, भारत
2. श्री आर.एस. गवई - पूर्व राज्यपाल, बिहार तथा केरल
3. श्रीमती शीला कौल - पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश
4. श्री जानकी बल्लभ पटनायक - पूर्व मुख्यमंत्री, ओडिशा
5. डॉ. विल्फ्रेड ए. डिसूजा - पूर्व मुख्यमंत्री, गोवा
6. श्री रघुवीर सिंह कौशल - पूर्व सांसद, तेरहवीं एवं चौदहवीं लोकसभा तथा पूर्व सदस्य, छठी, सातवी, नौवी एवं दसवीं राजस्थान विधान सभा
7. श्री नाथूलाल गुर्जर - पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा
8. श्री कौशल किशोर जैन - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा
9. श्री हरिराम चौहान - पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा
10. श्री गिरधारी लाल भोबिया - पूर्व सदस्य, दूसरी राजस्थान विधान सभा
11. नेपाल में आये विनाशकारी भूकम्प में मृतक
12. आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री पुष्करालु घाट पर मची भगदड में मृतक
13. देवधर जिले (झारखण्ड) दुर्गा मंदिर के पास कांवडियों में मची भगदड में मृतक
14. हरदा जिले (मध्यप्रदेश) में काली माचक नदी के पुल पर हुई रेल दुर्घटना में मृतक
15. झाबुआ जिले (मध्यप्रदेश) में स्थित एक इमारत में रखे खनन विस्फोटकों में हुए विस्फोट में मृतक

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 सितम्बर, 2015

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव